14.7.17

पत्रावली कोर्ट कैम्प दरीबा पर पेश। वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दरीबा के आराजी नम्बर 86, 87, 67 67मी पर वादी का 20 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। जानकारी मिली आपा की उक्त आराजी प्रतिवादी सं० 1 के नाम पर है

वादी के बिना जानकारी के प्रतिवादी सं० 1 उपरोक्त आराजी को अपने नाम अन्य आराजी के साथ आवंटन करवाली गई जो कुल 10 बीघा आवंटन किया गया। जिसकी जानकारी होते ही वादी द्वारा कार्यवाही आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रतिवादी सं० 1 से कहा जिस पर प्रतिवादी 1 ने वादी को शांति पूर्वक बिना रुकावट के कुल आवंटित आराजी 85, 86, 87, 96, कुल कित्ता 04 रकबा 8 बिघा 06 बिस्वा में से वादी की काश्त शुदा आराजी नम्बर 86 87, कुल कित्ता 02 कुल रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा पर उपयोग उपभोग की सहमती दी गई प्रतिवादी सं० 1 को आवंटन के बाद भी वादी का कब्जा लगातार चलता आ रहा है

अतः वादी विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय की घोषणा बाबत कराना चाहते की आराजी नम्बर ग्राम दरीबा नम्बर 86, 87, कित्ता 02 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा भूमी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे/ एवं प्रतिवादी सं० 1 को पाबंद कराये कि वादी को उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करने पर नहीं रोका जावे/

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

आदेश

वादी वाद पत्र मे प्रतिवादी को ग्राम दरीबा की आ.नं. 86, 87 किता 02 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि आवंटन होना बताया है आवंटित भूमि किस आधार पर अपने नाम कराना चाहता भी दस्तावेज पेश नही है अत: वादी को वाद पत्र सिद्ध नही होने से वाद पत्र खारीज किया जाता है।

खर्चा पारेवान अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2017 को मौके ग्राम दरीबा पर सरे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर नस्ल में दाखिल हो।

सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रेक, भीलवाड़ा

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा
कैम्प दरीबा

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति रेनु मीना आर०ए०एस०

उनवान

1. श्री आनन्दीराम पुत्र बंशीदास निवासी दरीबा वादी

बनाम

1 श्री मोहनलाल पिता बंशीदास बैरागी दरीबा
2 तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत– 88,89,188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 66/14
निर्णय दिनांक :– 14.7.17

वादी की ओर से .... की व प्रतिवादी की ओर से........................ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.7.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी **श्रीमती रेणु मीना**) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी वाद पत्र मे प्रतिवादी को ग्राम दरीबा की आ.न. 86,87 किता.02 रकबा 25 बीघा 01 किता भूमि आवंटन होना बताया है आवंटित भूमि किस आधार पर अपने नाम कराना चाहते है दस्तावेज पेश नही की. अत: वादी का वाद पत्र सिद्ध नहीं होने से वाद पत्र खारीज किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.7.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।